



Telephone: 0484-2390404

Fax:0484-2390608
e-mail- cexcochi@nic.in

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE, राजस्व विभाग/ DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX

कोचिन आयुक्तालय COCHIN COMMISSIONERATE

केन्द्रीय राजस्व भवन C.R.BUILDING, आई.एस.प्रेस रोड I.S.PRESS ROAD: कोचिन COCHIN-18

सी.सं./C.No.IV/16/04/2014.Tech

तारीख/ Dated: 19.05.2014

व्यापार सूचना / TRADE NOTICE NO: 50 /2014

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम, 2005-जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति - संबन्धित.

Sub:- Right to Information Act, 2005-Appointment of CPIO - Reg.

व्यापार, उद्योग एवं आम जनता इसके साथ सूचित किया जाता है कि श्री अमित शर्मा, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर को कुमारी निकिता एस. चंद्रन, सहायक आयुक्त के स्थान पर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना / दस्तावेजों की प्रकटीकरण के लिए आवेदनों / अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.02.14 की व्यापार सूचना सं. 21 /2014 की तालिका के अनुबंध-II (क्र.सं.-2) में सूचित अनुसार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

Trade, Industry and General Public are hereby informed that Shri.Amit Sharma, Assistant Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax has been designated as Central Public Information Officer (CPIO) in place of Kum.Nikita S.Chandran, Assistant Commissioner as shown at Annexure II (Sl.No.2) of Trade Notice No.21/2014 dated 06.02.2014 for the purpose of receiving applications/requests for disclosure of information/documents under Right to Information Act, 2005.

क्र.सं./ Sl.No.	नाम व पदनाम/Name & Designation	क्षेत्राधिकार/Jurisdiction	सी.पी.आई.ओ. का पता एवं दूरभाष सं./Address and Telephone No. of the CPIO
		विभाजन/Division	क्षेत्र/Area
1	श्री अमित शर्मा, सहायक आयुक्त एवं सी.पी.आई.ओ./ Shri.Amit Sharma, Assistant Commissioner & CPIO	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, एर्णाकुलम -I मण्डल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, कत्रिकडवु, कलूर, कोचिन/ Central Excise, Customs & Service Tax, Ernakulam I Division, Central Excise Bhavan, Kathrikadavu, Kaloor, Cochin - 682017.	जैसा व्यापार सूचना सं.21/2014 दिनांक:06.02.2014 के अनुबंध-II (क्र.सं.-2) में उल्लिखित है/As mentioned in Annexure II (Sl.No.2) of Trade Notice No.21/2014 dated 06.02.2014
			केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, एर्णाकुलम -I मण्डल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, कत्रिकडवु, कलूर, कोचिन./ Central Excise, Customs & Service Tax, Ernakulam I Division, Central Excise Bhavan, Kathrikadavu, Kaloor, Cochin - 682017. Phone: 0484-2533169; Fax: 0484-2533060; Email: cex_1503@yahoo.co.in

Reshma Lakhani
19/5/2014

(रेशमा लखानी/RESHMA LAKHANI)

आयुक्त/COMMISSIONER

प्रति /Copy to: 1.सभी संबन्धित अधिकारी /The concerned officers

2.प्रेषण सूची 1,2,3 के अनुसार / As per Distribution List No.I, II & III.

सूचना हेतु प्रति प्रस्तुत है /Copy for information submitted to :-

1. सदस्य (सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली
The Member (Customs/Excise), CBEC, New Delhi.
2. निरीक्षण महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, डी ब्लॉक, आई पी एसटेट,नई दिल्ली
The Director General of Inspection, Customs & Central Excise, D-Block, I.P.Estate, New Delhi.
3. सिस्टेमस महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, होटेल सम्राट, नई दिल्ली
The Director General of Systems, Customs and Central Excise, Hotel Samrat, New Delhi.
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद,सीमा शुल्क एवं सेवा कर, केरल क्षेत्र, कोचिन
The Chief Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
5. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,केलिकट एवं त्रिवेन्द्रम-इस अनुरोध के साथ कि वे इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रचार करें और विभिन्न व्यापार संघों और आर.ए.सी. आदि के सदस्यों को भेजें
The Commissioner, Central Excise, Calicut & Trivandrum with a request that they may give wide publicity to this trade notice and may be sent to various Trade Associations & members of RAC etc. also
6. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन
The Commissioner of Customs, Customs Preventive Commissionerate, Cochin.
7. आयुक्त (अपील),कोचिन
The Commissioner (Appeals), Cochin.
8. सभी महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/निदेशालयों के आयुक्त
All Director General/Chief Commissioners /Commissioners of Directorates
9. सूचना पट्ट/Notice Board.